GOVT. OF N.C.T. OF DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION
(ESTABLISHMENT-IV BRANCH)
ROOM NO.11-B, OLD SECRETARIAT: DELHI-54.

F.NO. DE 4(2)(286)/E.IV/2003/ 854 - 903 Dated: 1/3/12

CIRCULAR

Copy of this Directorate's notification published in Delhi Gazette Extra Ordinary Part-IV on 09 December, 2011 regarding Recruitment Rules for the post of Physical Education Teacher is enclosed for information of all concerned.

(S.S. TOKAS)
ASSTT. DIRECTOR EDU. (E-IV)

F.NO. DE 4(2)286/E.IV/2003/ 854 - 903 Dated: 1/3/12

1. Director, Department of School Education & Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi.
2. Under Secretary (UPSC), Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi-69 with reference to letter no.F3/24D(8)/2010-RR dated 15/06/2011.
3. Pr. Secretary (Finance), Govt. of N.C.T. of Delhi, Delhi Sectt.
4. Pr. Secretary (Law, Justice & L.A.), Govt. of N.C.T. of Delhi.
5. Member Secretary, National Council for Teacher Education, Wing-II, Hans Bhawan, 1- Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002.
6. Secretary (Services), Services Department, Govt. of N.C.T. of Delhi, Delhi Sectt.
7. Chairman, CBSE, Shiksha Kendra, 2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi-110092.
8. Chairman (DSSSB), FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi-92.
9. Director (Education), New Delhi Municipal Council, Palika Kendra, Sansad Marg, New Delhi.
10. Chief Cantonment Officer, Delhi Cantonment Board, New Delhi-110010.
11. Director (Primary Education), MCD, Education Department of MCD, 15th Floor, Dr. Shayma Prasad Mukherjee, Civic Centre, Minto Road, New Delhi-110002.
12. Secretary (SCERT), Varun Marg, Defence Colony, New Delhi-110024.
13. SPD (UEE Mission-SSA), Dte. of Education, GNCT of Delhi, 1st Floor, Distt. North, Lucknow Road, Delhi-54.
14. All Regional Directors of Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi.
15. All Dy. Director of the Districts, Dte. of Education, Govt.of NCT of Delhi.
16. P.S. to Hon'ble L.G. Delhi/Chief Minister Delhi/Minister of Education/Chief Secretary Delhi/Pr. Secretary (Education)/Director (Education)/Spl. D.E. (Admn.), Dte. of Education, Govt. of NCT of Delhi.
17. Addl. Director of Education(Coord.), Dte of Education
18. All branch In-charges at Directorate of Education (HQ), Govt. NCT of Delhi, Old Sectt.
19. Superintendent/CN, GAD, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sectt., I.P. Estate, New Delhi.
20. O.S.(IT), Directorate of Education for upload this notification at the website of this Directorate.

(S.S. TOKAS)
ASSTT. DIRECTOR EDU. (E-IV)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 200] दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 9, 2011/अग्रहायण 18, 1933 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 221

No. 200] DELHI, FRIDAY, DECEMBER 9, 2011/AGRAHAYANA 18, 1933 [N.C.T.D. No. 221

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय
अधिसूचना

दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2011

सं. फा. शि.नि. 4(2)/286/स्था. IV/2003/17900.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या फा. 27/59-एचआईएम (I) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा इस सरकार की दिनांक 28 फरवरी, 1984 की अधिसूचना संख्या फा. 2 (8)/83-से. II/9653-58 एवं दिनांक 9-8-1996 की अधिसूचना संख्या 27/1/96-शिक्षा/ 1141 से 1145 के अधिक्रमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पद की भर्ती पद्धति विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों को शारीरिक शिक्षा अध्यापक (श्रेणी 'ख' पद) शिक्षा निदेशालय भर्ती नियमावली, 2011 कहा जाएगा ।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे ।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं आदि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे ।

4. **अयोग्यता.**—ऐसा कोई भी व्यक्ति,—

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है, और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेगी ।

6. **बचाव.**—इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने के लिए आरक्षण अपेक्षित आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुसूची

शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में "शारीरिक शिक्षा अध्यापक" के पद के भर्ती नियम

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड एवं ग्रेड पे/ वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शारीरिक शिक्षा अध्यापक	1370* (2011) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, श्रेणी 'ख' अराजपत्रित, अलिपिकीय	पे बैण्ड-2-9300-34800 रुपये (ग्रेड पे 4600 रुपये)	लागू नहीं

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी
(6)	(7)	(8)
30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय) **टीप** :—आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो, लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब-डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब-डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है ।	**अनिवार्य** :— शारीरिक शिक्षा स्नातक (बी.पी.एड) या इसके समकक्ष **टीप** :— प्रत्याशी के अन्यथा सुयोग्य होने पर सक्षम प्राधिकारी के विवेक के आधार पर अभिलेखबद्ध लिखित कारणों से योग्यता शिथिलनीय है।	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है
(9)	(10)	(11)
02 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा **टीप** :—व्यक्ति के प्रतिनियुक्ति पर या लम्बी बीमारी के कारण या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या अधिक लम्बी अवधि के लिये कार्य से अलग रहने के कारण रिक्त पद को नियुक्ति अधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर केन्द्र सरकार	लागू नहीं

(10)
में समरूप पदधारी अपने मूल संवर्ग/ विभाग में नियमित आधार पर कार्य करने वाले तथा कॉलम सात के अन्तर्गत उल्लिखित सीधी भर्ती के लिये शैक्षिक योगयता और अनुभव रखने वाले अधिकारियों में से भरा जा सकता है। (प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।)

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है ।
(12)	(13)
'ख' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण हेतु) :– 1. प्रधान सचिव/सचिव (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार —अध्यक्ष 2. निदेशक (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार —सदस्य 3. अतिरिक्त निदेशक/अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव (शिक्षा) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार —सदस्य 4. अनु. जाति/ अनु. ज. जाति समुदाय से संबंधित कोई अधिकारी जो दिल्ली सरकार में उप-सचिव के रैंक से कम न हो —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

सुरेश गुप्ता, अतिरिक्त सचिव

DIRECTORATE OF EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 9th December, 2011

F. DE 4(2)/286/E-IV/2003/17900.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. F. 27/59/Hm., (I) dated the 13th July, 1959, and in supersession of this Government's Notification Nos. F. 2 (8)/83-S. II/9653-58 dated the 23rd Feb., 1984 & 27/1/96-Edn/1141 to 1145 dated 09-08-1996, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Physical Education Teacher in the Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Directorate of Education, Physical Education Teacher (Group'B' post) Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.— The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualification and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment rules for the post of Physical Education Teacher under the Directorate of Education, Department of Education, Government of National Capital Territory of Delhi

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Physical Education Teacher	1370* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	GCS Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2 (Rs. 9300-34800) + Grade Pay Rs. 4600	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions/ or order issued by the Central Government.) **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Essential : Graduate with Bachelor's or Physical Education (B. P. Ed) or its equivalent. **Note :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the cese of candidates otherwise well qualified.	Not applicable	2 years

Method of recruitment, whether by direct or by promotion or by deputation/transfer and % age of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer from which promotion/deputation/transfer to be made
(10)	(11)
By direct recruitment **Note :** Vacancies caused by the incumbeent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from offcers of Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent canre/department and possessing education qualification prescribed for direct recruits under column 7. (The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 eyars as on the closing date of receipt of applications.)	Not applicable

If a DPC exists, what is its composition		Circumastances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
(12)		(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for confirmation) :—		Consultation with UPSC not necessary.
1. Principal Secretary/ Secretary (Education) Govt. of NCT of Delhi	—Chairman	
2. Director (Education) Govt. of NCT of Delhi	—Member	
3. Additional Director/Additional Secretary/Joint Secretary (Education) Government of N.C.T. of Delhi	—Member	
4. An officer belonging to SC/ST Community not below the rank of Deputy Secretary in Govt. of NCT of Delhi	—Member	

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

SURESH GUPTA, Addl. Secy.

4485 DG/11-2

राजस्व विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2011

फा. सं. 11(10)/2000/रा./म.आ./पार्ट फाइल II/1814.—दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 7 (1954 का अधिनियम 12) एवं उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 15(1901 का उ.प्र. अधिनियम 3) जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू है, और पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 27 (1) (बी), जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में लागू है, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल सहकारी समिति विभाग में निम्नलिखित अधिकारी को जोकि सहायक पंजीयक के पद पर जब तक वे सहकारी विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार में आपने पद पर बने रहते हैं या अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिल्ली सहकारी विभाग से संबंधित दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत भू-राजस्व की बकाया ऋण वसूली के लिए सहायक कलैक्टर ग्रेड-I एवं वसूली अधिकारी नियुक्त करते हैं ।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पद
1.	श्री एल. आर. मीणा	सहायक पंजीयक

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 9th December, 2011

F. No. 11(10)/2000/Rev./DC/Part file II/1814.—In the exercise of the powers conferred by Section 7 of the Delhi Land Revenue Act, 1954 and Section 15 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (UP Act III of 1901) as extended to the National Capital Territory of Delhi and clause (b) of sub-section (1) of Section 27 of the Punjab Land Revenue Act, 1887, as extended to the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby appoints the following Offcer working as Asstt. Registrar in the Co-operative Societies, Department of the Govt. of NCT of Delhi, as Assistant Collector Gr. I and Recovery Officer under the said Acts for the purpose of recovery of such amount(s) is recoverable as arrears of Land Revenue under the Delhi Co-operative Societies Act, 2003, so long as the following officer hold the post in the Department of Co-operative Societies or till further orders, whichever is earlier.

Sl. No.	Name of the Officer	Designation
1.	Sh. L. R. Meena	Assistant Registrar

फा. सं. 7(13)/रा. स्थ./स.र./जी.ए./97/पी.एफ.-1/1815.—सेवा विभाग, दिल्ली सरकार के आदेश सं. 354, दिनांक 1-8-2011 के सदर्भ में श्री सुरेन्द्र कुमार, ग्रेड-I (दास) ने दिनांक 16-9-2011 (पूर्वाह्न) को तहसीलदार (राजौरी गार्डन) जिला- पश्चिम का कार्यभार संभाल लिया है । अत: :—

सं. 7(13)/रा. स्थ./स.र./97(i).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 की उप-धारा 27/1/बी (1887 अधिनियम सं. 17) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप राज्यपाल श्री सुरेन्द्र कुमार, ग्रेड-I (दास) को जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान करते हैं ।

सं. 7(13)/रा. स्थ./स.र./97(ii).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल श्री सुरेन्द्र कुमार, ग्रेड-I (दास) को जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान करते हैं ।

सं. 7(13)/रा. स्थ./स.र./97(iii).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित पूर्वी पंजाब (चकबंदी एवं विखण्डन रोकथाम) अधिनियम, 1948 (1948 की अधिनियम संख्या 50) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल श्री सुरेन्द्र कुमार, ग्रेड-I (दास) को जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में उक्त शक्तियां व अधिनियम के अंतर्गत चकबंदी अधिकारी नियुक्त करते हैं ।

सं. 7(13)/रा. स्थ./स.र./97(iv).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 की अधिनियम संख्या 12) की धारा 77 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल श्री सुरेन्द्र कुमार, ग्रेड-I (दास) को जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान करते हैं ।